न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांकः– /11/ निगरानी R-720-II/2011

भगवतीलाल पिता श्यामसुन्दर सोनी उम्र 64 साल धंधा व्यापार निवासी 102, चॉदनी चौक रतलाम (म.प्र.)

..................आवेदक

विरूद्व

01. प्रकाशचन्द्र पिता माणकलाल सेठिया निवासी 51, बिचलावास रतलाम (म.प्र.)

02. मध्यप्रदेश शासन

..................अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां. संहिता विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र उज्जैन के प्रकरण कमांक 158/08.09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24/02/2011 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजगढ़ प0ह0नं0 21 में एक भूमि सर्वे नं0 101 आवेदक के स्वत्व की स्थित थी, तथा बाद में इस भूमि के बटे नं0 हुए जिसमें बटा नं0 101 से 107 बना है, जिसके भूमि स्वामी आवेदक भगतवीलाल तथा रामनाथ, गीताबाई, द्वारकाप्रशाद जोरालुद्दी, सलोनी , मसिह, प्रेमादेवी, आदि है तथा इन सर्वे नं0 में अनावेदक का खसरे में कहीं नाम नहीं है।

यह कि इस भूमि के सम्बध में साम्पतिक न्यायालय में विवाद चल रहे हे व एक व्यक्ति दिलीप सुराणा षड़यंत्र कर जमीन को पुनः नपवाना चहता हे जबकि पूर्व में कई बार भूमि नप चुकी है जो न्यायालय के आदेश से भी कमिश्नर द्वारा नप्ती की जा चुकी है।

(187)

(172)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-720/दो/2011

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 19/04/2017 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	